JALAUN POLICE

दिनांक – 18.09.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना चुर्खी पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों को अपहरण की झूठी सूचना देने वाले दम्पत्ती के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

आवेदिका श्रीमती माला बाई पत्नी रंजीत नि0 ग्राम आटा अस्पताल के पास झोपडी में थाना आटा जनपद जालौन हाल पता डेरा ग्राम सतरहजू थाना चुर्खी जनपद जालौन द्वारा उच्चाधिकारियों को शिकायती प्रार्थना देते हुए बताया गया कि दिनांक 13.09.2025 को आवेदिका के दामाद चिराग पुत्र राजकुमार नि0 ग्राम सरसेला थाना कालपी जनपद जालौन द्वारा आवेदिका की शादीशुदा पुत्री मनीषा(पत्नी चिराग) व पुत्र विक्की उम्र करीब 8 वर्ष को जबरन उठा ले गया है।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थानाध्यक्ष चुर्खी मय पुलिस बल द्वारा मौके पर जाकर जांच व पूछताछ करने पर पाया कि आवेदिका की पुत्री मनीषा अपने पति चिराग के पास रहती हुई मिली एवं पूछताछ के दौरान रंजीत के मोबाइल पर उसके पुत्र विक्की उम्र 8 वर्ष द्वारा कॉल करके कहा गया कि चुर्खी बाईपास पर खडा हूं, कहां आना है इस पर चुर्खी बाईपास जाकर देखा गया तो विक्की वहां मौजूद मिला। जिससे नियमानुसार पूछताछ की गयी तो विक्की उम्र 8 वर्ष ने बताया कि मेरे मम्मी और पापा का मेरे जीजा(चिराग) के बीच कोई पुराना केस चल रहा है। इसी वजह से मेरे जीजा चिराग को फंसाने के लिए मुझे चाचा मोनू के पास भेज दिया था। आज मेरा चाचा मोनू चुर्खी बाईपास छोड गया है। समस्त जांच से स्पष्ट हुआ कि आवेदिका मालाबाई व उसके पति रंजीत द्वारा अपने पुत्र विक्की व पुत्री मनीषा के अपरहण की झूठी सूचना दी है।

जिस पर पुलिस को झूठी सूचना देकर अफवाह फैलाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 101/2025 धारा 353(2) बीएनएस बनाम 1. श्रीमती मालाबाई पत्नी रंजीत उम्र करीब 40 वर्ष 2. रंजीत पुत्र स्व0 सरदार सिंह उम्र करीब 42 वर्ष नि0 कस्वा व थाना आटा जनपद जालौन हाल पता ग्राम सतरहजू थाना चुर्खी जनपद जालौन पंजीकृत किया गया है एवं रंजीत उपरोक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जालौन पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। कृपया झूठी सूचना व अफवाह न फैलायें अन्यथा आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।